रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233715
CG-DL-E-24022022-233715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943
No. 153]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

सा.का.नि 156(अ).—कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारुप, भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए, जिसे केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड, बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि इन प्रारुप विनियमों की अधिसूचना के प्रकाशन वाला राजपत्र आम जनता को उपलब्ध कराए जाने से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात उक्त प्रारुप विनियमों पर विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, उक्त निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग), कमरा नं. 358 उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 अथवा ई-मेल (tsg.narayannen@nic.in) पर मेल किए जा सकते हैं।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ --** (1) इन विनियमों को भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 4ज, उप-विनियम (3) में खंड (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"(i) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड स्थायी परीक्षा समिति अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी अथवा क्षेत्रीय स्थायी परीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित तरीकों से परीक्षा आयोजित की जाएगी, नामत:-

(क) लिखित परीक्षा में बॉयलर का डिजाइन, विनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण, गैर-विध्वंसक परीक्षण तकनीकें, भारतीय बॉयलर विनियमों के अनुसार विनिर्माण के दौरान बॉयलर्स का निरीक्षण और प्रमाणीकरण तथा उसका उपयोग अंतर्विष्ट होगा (70 प्रतिशत भारिता);

(ख) मौखिक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक लिखित परीक्षा में 45 प्रतिशत और कुल मिलाकर कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे;

(ग) उपर्युक्त से संबंधित मौखिक परीक्षा (30 प्रतिशत भारिता);

(घ) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, उसके कुल प्राप्तांक का कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए (लिखित परीक्षा की भारिता 70 प्रतिशत होगी और मौखिक परीक्षा की भारिता 30 प्रतिशत होनी चाहिए)

(ङ) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को उत्तीर्ण श्रेणी का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।"

[फा. सं. पी-30026/4/2020-बॉयलर]

टी.एस.जी. नारायणन, सचिव,

नोट : प्रमुख विनियम सा.आ.600 दिनांक 15 सितंबर, 1950 के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 551(अ) दिनांक 11 सितंबर, 2020 के जरिए किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(CENTRAL BOILERS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2022.

G.S.R. 156(E).—The following draft regulations to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is hereby published as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of forty-five days from the date the Gazette containing the publication of this notification is made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), Room No. 358, Udyog Bhawan, New Delhi- 110 011 or sent by email (tsg.narayannen@nic.in) within the period specified above.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 4J, in sub-regulation (3), for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) an examination shall be conducted by the Central Boilers Board Examination Standing Committee or an agency or Regional Examination Standing Committees authorized by it, as per the following examination methods, namely:-

(a) written Examination consisting of design, manufacture, operation and maintenance of the boiler, Non Destructive Testing Techniques, inspection and certification of boilers during manufacture and use as per Indian Boiler Regulations(70% weightage);

(b) candidate shall secure at least 45% marks in individual written examination papers and at least 60% marks in aggregate to qualify for viva-voce.

(c) viva-voce on the above (30% weightage).

(d) candidate shall secure at least 60% marks in aggregate **(**written exam with 70% weightage and viva-voce with 30% weightage) in order to pass the examination.

(e) the Central Boilers Board shall issue a passing grade certificate to the candidate after passing the examination.".

[F. No. P-30026/4/2020-Boiler]

T. S. G. NARAYANNEN, Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and last amended *vide* G.S.R.551(E), dated the 11th September, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.24 21:53:24 +05'30'